कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 163 /FP/UK/ROAD/157397/2022 देहरादूनः दिनांकः 14 जुलाई, 2022

सेवा में,
सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– **जनपद–नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर–मदकोटा हल्द्वानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेब्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **16.69 हे0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त**, ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षकएवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या /FP/UK/ROAD/157397/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (**HoFF**),उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक/कुमाऊँ नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय–समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट । से **IV** तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(प्रस्ताव की प्रति संलग्न)**
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
5. जिलाधिकारी, जनपद–नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी, (नैनीताल)।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षकएवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17—	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात् प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

तिथिः 14.7.22

स्थानः देहरादून